

सम्पादकीय

भीमराव आंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर आत्मनिर्भर बनेगा भारत

अब से 25 वर्ष बाद राष्ट्र स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा। मौजूदा अमृत महोत्सव राष्ट्र की विकास-गति की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। हमारे पूर्वजों ने इस संबंध में अपनी स्पष्ट दूरदृष्टि को प्रस्तुत किया था, जिसके फलस्वरूप हमारी अब तक की प्रगति हुई है। नए भारत के निर्माण के इस व्यापक कार्य के परिक्षेय में कई क्षेत्रों में बाबा साहब डा. भीमराव आंडेकर की प्रेरणादायी दूरदृष्टि और सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण हमशा एक मार्गदर्शी प्रकाश-संभव के रूप में हमारे साथ है। उनकी जयंती एक राष्ट्र निर्माण के रूप में उनकी समग्र भूमिका का स्मरण करने और हमारे कार्य क्षेत्रों में उनके आदर्शी का अनुकरण करने के लिए पुनः प्रेरित होने का एक उपयुक्त अवसर है। डा. आंडेकर ने एक संस्था निर्माता के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान समय की संवैधानिक व्यवस्था ने उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को चारों दिशाओं में जु़गायमान किया है। वे संविधान सभा में वाद-विवाद में सबसे महत्वपूर्ण वर्ता थे। इस क्षेत्र में संपर्ण गतीलाप में संविधिक योगदान अर्थात् 7.5 प्रतिशत बाबा साहब का ही रहा, जबकि नेहरू का योगदान 2.14 प्रतिशत रहा। भारतीय रिझर्व बैंक ने डा. आंडेकर के 'रुपये की समस्या-इसकी उच्चति और समाधान' विषयक शोध-पत्र को अपनी

कायर्प्रणाली का मूलाधार बनाया। वायसरय की कार्यकारी परिषद के लेबर मैंबर के रूप में उन्होंने जल, बिजली, श्रम कल्याण नीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केंद्र और राज्य के हितों को जोखिम में डाले बिना अपने आर्थिक स्तर को लगातार ऊर ऊरने के प्रयोजनार्थ केंद्र और राज्यों के बीच एक सधीय वित्तीय प्रणाली को विकसित करने में बड़ा योगदान दिया। वह श्रमिक अधिकारों के एक कठुर पैरोकार थे। एक श्रमिक नेता के रूप में उन्होंने 'कार्य की उचित स्थिति' के बजाय 'श्रमिक के जीवन की उचित स्थिति' की हिमायत की। अन्य कल्याणकारी कार्यों यथा काम के घंटों को घटाकर प्रति सप्ताह 48 घंटे करना, ओवर टाइम और पेड लीव की व्यवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण एवं उसकी सुनिश्चितता, श्रम कल्याण कोष तथा ट्रेड यूनियनों की स्वीकार्यता को अक्षरण: लागू किया गया। काश्तकारों के बीच दास परंपरा का उन्मूलन किया। श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक विवाद विद्येयक, 1938 का कड़ा विरोध किया था। प्राप्त करने पर सताप का अनुभूति को व्यक्त किया। इसके बावजूद उन्होंने सामाजिक और अर्थिक मोर्चों पर संबंधित मूल्यों में मौजूदा मतभेदों के कारण अनेक गाले विरोधाभासों के बारे में भी आगाह किया। हालांकि, पिछले आठ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदम इन विरोधाभासों को दूर कर रहे हैं और राष्ट्र डा. अंबेकर की दूरदृष्टि के करीब पहुंचता जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम सकारात्मक बदलाव लाने और विशेष रूप से सभी, विचित और दलित वर्ग के लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने की दिशा में कार्यरत हो रहे हैं। गरीब समर्थित कल्याण योजनाओं जैसे कि मुद्रा स्कीम, एकलव्य माडल आवासीय स्कूल निर्माण स्कीम, प्रधानमंत्री आवास, आयुषान भारत, किसान सम्पादन निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत अभियान आदि का क्रियान्वयन होने से लोगों के जीवन का स्तर बढ़ रहा है। पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति स्कीम में चार करोड़ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का उच्चतर शिक्षा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

पूरी दुनिया को खाद्यान्व उपलब्ध कराने की बात यहीं नहीं कर रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बात करते हुए कहा कि यदि विश्व खाद्यानन्द संगठन अनुमति दे तो भारत पूरी दुनिया को खाद्यानन्द उपलब्ध करा सकता है। उनके इस कथन का सीधा अर्थ है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यानन्द है। देश में खाद्यानन्द प्रचुरता के कारण दो हितकारी बातें दिखाई दे रही हैं। पहली, सरकार के मुफ्त खाद्यानन्द कार्यक्रम के कारण न सिर्फ कोविड महामारी की बजह से लगाए गए लाकडाउन की मार से गरीबों को बचाया जा सका, बल्कि इस समय दुनिया की तुलना में देश में महगाई भी कम है। दूसरी, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने वैश्विक खाद्यानन्द जरूरतों की पूर्ति के मद्देनजर गेहूं नियंत्रित का अभूतपूर्ण मौका अपने हाथों में ले लिया है। उल्लेखनीय है कि देश में गेहूं सहित खाद्यानन्द के रिकार्ड उत्पादन का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। यह आम आदमी और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा बन गया है। खाद्य मंत्रालय के खाद्यानन्द उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, फसल वर्ष 2021-22 में देश में कुल खाद्यानन्द उत्पादन रिकार्ड 31.60 करोड़ टन पर पहुंच जाने का अनुमान है, जो पिछले फसल वर्ष में 31.07 करोड़ टन रहा था। इस वर्ष गेहूं का उत्पादन रिकार्ड 11.13 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 10.95 करोड़ टन रहा था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 12.79 करोड़ टन रिकार्ड अनुमानित है। साथ ही इस साल तिलहन उत्पादन 3.71 करोड़ टन रह सकता है, जो कि पिछले साल के 3.59 करोड़ टन से ज्यादा है। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मुताबिक किसानों को दी जा रही पीएम सम्मान निधि, विभिन्न कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और किसानों के परिश्रम से खाद्यानन्द उत्पादन वर्ष-प्रतिवर्ष रिकार्ड ऊंचाई बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम



एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम से कैसे अर्थव्यवस्था को मिल रही है तेज गति


भारत के वस्त्र समेत तमाम स्थानीय उत्पाद आरंभिक सदियों से लेकर 17वीं-18वीं सदी तक यूरोपीय मनोविज्ञान पर इस तरह प्रभाव जमाए रखे कि प्रत्येक कालखण्ड में पश्चिमी बुद्धिजीवी किसी न किसी तरह का विलाप करते दिखें। ऐसे अनेक तथ्य हैं जो भारतीय कला और विज्ञान के बीच एक व्यापक संबंध है। सांस्कृतिक विकासक्रम में भारत ने अपनी संस्कृति और अध्यात्म की एक बहुत प्रसंपरा का विकास किया ही, साथ ही ज्ञान, विज्ञान कला तथा उद्योग की ऐसी शैलियां भी विकास किया जो भारत द्वारा विशिष्ट पहचान बनीं। इन शैलियों

त को नष्ट कर दिया और भारत के
म गांवों पर आधिपत्य स्थापित करने
स की कोशिश की। आजादी के बाद
।, इसकी आवश्यकता थी कि पुनः
गों देशज उत्पादों को एक व्यापक
नी आधार दिया जाए, ताकि
गों राजनीतिक स्वतंत्रता का दायरा

किया। एक और बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, वह यह कि अपनी माटी, मां का दिया हुआ मोटा कपड़ा और मोटे अनाज की रोटी ने ही भारत को पूरी तरह से गुलाम नहीं होने दिया। आज की विश्व व्यवस्था और बाजार की प्रतिस्पर्धा

दिया है कि इकोनमी का यह माडल भारतीय लोकजीवन के निकट होने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता व खुशहाली की बुनियादी विशेषताओं से भी संपन्न है। बहुत से अध्ययन यह बताते हैं कि हमारी स्थानीय आर्थिक ईकाइयां समर्थ न होतीं तो मांग और पॉर्ट की स्थानीय चेन नहीं होती।

मैकेनिज्म से है। ऑडीओपी कार्यक्रम की सफलता के लिए जरूरी था कि उत्पादों को मार्केट मैकेनिज्म से जोड़ा जाए। इसके लिए फैसिलिटेशन, मार्कटाइजेशन यानी डिजाइनिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग की जरूरत थी। किसी भी उत्पाद के लिए बाजार में सस्ते निर्मित करने के लिए क्वालिटी



का उद्देश्य देशजन था, लोकन पहुँच राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय। उद्यम एक कला की ये स्थानीय शैलियां इन्हनें मजबूत आधार रखवाई थीं कि भारत में नगरीय क्रांतियों को व्यापक आधार देने और गांवों को रिपब्लिकी की हैसियत तक ले जाने में सफल रहीं। शायद यही कारण है तिंहारी आकांक्षाओं ने उत्पादन के इन स्थानीय तकनीकों व शैलियों

बढ़ाते हुए आर्थिक स्वतंत्रता का ले
जाया जा सके। महात्मा गांधी ऐसा
ही चाहते थे। उनकी आर्थिक
परिकल्पना का यही आधार था।
हालांकि ऐसा हो नहीं पाया।
प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया,
डिजिटल इंडिया और स्टैंडअप इंडिया
के साथ इसकी आधारभूत शुरुआत
हुई जिसे 'वोकल फार लोकल' मंत्र
ने एक नया आयाम देने का कार्य

को देखते हुए यह आवश्यक हो चुका है कि देशज और पारंपरिक कलाओं, शिल्पों व उत्पादों को भारतीयों के सेंटीमेंट्स से जोड़ते हुए आधुनिक तकनीक व कौशल से संपन्न कर गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। यह भारत की मौलिक विशेषता के अनुकूल तो है ही, लेकिन कोविड जैसी वैश्विक आपदा ने हमें यह सिखा

हमारे जीवन के अधिकार में कैसे दखल दे रहा है
लाउडस्पीकर, शोर का स्वास्थ्य पर पड़ता प्रतिकूल प्रभाव

वर्तमान में अनेक प्रकार के प्रदूषण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण से तो मानवता जुँझ ही रही है, अनेक कारणों से ध्वनि प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे जन स्वास्थ्य के समक्ष खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। यातायात के साधनों से लेकर फैक्ट्रियों आदि तक से निकलने वाला ध्वनि प्रदूषण हमें इसलिए भी बर्दाश्ट करना पड़ता है, क्योंकि विकास की वर्तमान परिभाषा को सार्थक करने के लिहाज से ऐसा काफी हद तक आवश्यक भी है, यह बात अलग है कि नोनोन्ये के माध्यम से अब इनमें भी ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा रहा है। इसके अलावा, कई ऐसे अन्य कारक भी हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण की संपर्कता रही रही है।

को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार व रुक जाता है, जहां दूसरे व्यक्ति का अधिकार शुरू होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्तव्य अधिकार साथ-साथ चलते हैं। बहुत दौं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) ए और अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को बेहतर वातावरण और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। लैकिन बढ़ता शोर आमनव जीवन के साथ जीव-जृतु अपेड़-पौधों को भी प्रभावित करने साथ जीवन के अधिकार में बाहर बन रहा है। धार्मिक कार्यों के नियम पर ध्वनि प्रदूषण : अक्सर देखता है कि लोग अपने आसपास बजने वाले लाउडस्पीकर या डी-

क समाज के लिए कल्याणकारी है? अगर नहीं, तो फिर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध का सहयोग करना चाहिए, न कि उसका विरोध। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम के लिए प्रविधियाँ : पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2000 के नियम 5/6 के साथ पढ़। पर यह ध्वनि प्रदूषण संज्ञेय और और जमानती अपराध है, जिसमें पांच वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक के हानीने की व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिभ्युनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित ध्वनि प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने को मंजूरी भी दी

जा सकता है। साथ में, ध्वनि की सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) 2000 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चार अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानदंड रखा है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्रमशः: दिन व रात में 75 और 70 डेसिबल, बाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए 65 और 55, आवासीय क्षेत्र के लिए 55 और 45 व शांत क्षेत्रों के लिए 50 व 40 डेसिबल की मात्रा निर्धारित की है। ऐसा नहीं है कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका ध्वनि प्रदूषण के खतरे से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। तथाम कानून बनाए गए हैं और कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए

आवासीय क्षेत्रों के पास किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि, राजनीतिक ऐली या विवाह समारोह आदि के जरिये शौर की अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए। केवल उन्हीं समूहों को अनुमति दी जानी चाहिए जो धनि प्रदूषण प्रतिबंधों का पालन करने के लिए सहमत हों। वैसे उचित तो यही होगा कि सभी संप्रदाय के लोग लाउडस्पीकर को धर्म से जोड़ कर न देखें तथा इस पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने बाबत मिलकर पहल करें। हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि लाउडस्पीकर हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म का प्रतिविवर नहीं है, क्योंकि ईश्वर से जुड़े? के लिए किसी आधुनिक यंत्र की कोई दरकार नहीं होती है। इसलिए विकार। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर पारित आदेश का हवाला देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने और धार्मिक पाठ या अजान के लिए लाउडस्पीकर के नियमित उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। बहरहाल, यह केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है अपितु यह देशव्यापी समस्या है। धनि प्रदूषण का शिशुओं और महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी धनि की तेज गति के कारण महिलाओं का गर्भपाता होने का खतरा बढ़ सकता है या धनि का विकास रुक सकता है और शिशु का पूरा व्यवहार बदल सकता है। सीखने और व्यवहार करने वाले याचिका अनुपालन



को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस तेज आवाज को प्रसारित करने वाला का हौसला बढ़ता है और वह राया दिन यानी कभी भी लाउडस्पीकर बजाने लगता है। मंदिरों में सुबह और शाम लाउडस्पीकर बजाए धार्मिक कृत्य माना जाता है, जबकि वास्तविकता में यह बच्चों के पदार्थ का समय होता है। इसी प्रकार एसी संस्कृति से उठता रहा हो फिर जिसे नमाज या पूजा भक्ति कर होगी या जिसे राजे में सुबह पहले भोजन लेना होगा, उसे लाउडस्पीकर पर कहने का क्या औचित्य है? वैसे लाउडस्पीकर केवल मस्जिदों पर ही नहीं बजाये जाएंगे, मंदिरों के साथ अन्य धार्मिक स्थानों पर भी खबर बजाए जाते हैं। फिलहाल अब धार्मिक संगठन के लोगों द्वारा सोचना होगा कि क्या ऐसे क्रूर

है। स्पीसीसीढ़ी की रिपोर्ट के अनुसार, लाउडस्पीकर और सावंजनिक पता प्रणाली के दुरुपयोग के लिए उपकरण जब्त करने के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक हजार से अधिक केवीए क्षमता के डीजल जनरेटर से धनि प्रदूषण से एक लाख का जुर्माना लगेगा और उपकरण भी सील किए जा सकते हैं। निर्माण स्थलों पर निर्धारित स्तर से परे शोर करने पर 50 हजार का जुर्माना और उपकरण जब्त करना संभव होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखे फोड़े? पर भी भारी जुर्माने का प्रविधान किया है। ध्यातव्य है कि रिहाइशी इलाकों में पटाखे फोड़े? पर एक व्यक्ति पर हजार रुपये और साइलेंस जौन में तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया

कार्यपालिका द्वारा नियम भी बनाए गए हैं। असली मुद्दा कानूनों को लागू करने का है। बहरहाल, जब भी कभी किसी चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और उस पर कार्रवाई करना कठिन हो जाता है। इसी वजह से कठोर कानून के बावजूद जनता को धनि प्रदूषण से राहत नहीं मिलती दिख रही है। ऐसे में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध के लिए एक देश एक कानून होना चाहिए और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू भी होना चाहिए क्योंकि धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। लागतार बढ़ता हुआ धनि प्रदूषण जीवनशीली में बाधा खड़ी कर रहा है। इसलिए अस्पताल और

लाउडस्पीकर के त्याग अथवा उसकी ध्वनि को धीमा करने पर आपत्ति जताना सही नहीं है। जीवन के लिए महंगी स्वास्थ्य की अनदेखी। एक शोध के द्वारा पता चला है कि पिछले तीन दशकों के दौरान किशोरों में श्रवण हानि में तुच्छ हुई है। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि उच्च स्तर के शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद कई वर्षों तक श्रवण हानि का पता नहीं चल सकता है। लाउडस्पीकर के नियमित दिन और रात प्रयोग होने से नींद पूरी न होने के कारण मनुष्य में अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारी घर कर जाती है। जैसे बहारापन, उच्च रक्तचाप, अवसाद, चिड़िचिड़ापन, थकान, एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं व मानसिक चलते कुछ जीव अपने शिकारियों से नहीं बच पर रहे हैं। वहीं इसके विपरीत कुछ जीवों के लिए अपना शिकार खोजना भी मुश्किल साबित हो रहा है। उदाहरण के रूप में चमगादड़ और उलू को देख सकते हैं, उनके जैसे जीव संभावित शिकार को उनकी आवाज से पहचानते हैं। पर ध्वनि प्रदूषण उस आवाज को सुनने में दिक्कत पैदा कर रहा है। यही वजह है कि उह्ये अपना शिकार खोजने और भोजन जुटाने में अधिक समय लग रहा है, जिससे आने वाले समय में इन प्रजातियों में गिरावट की आशंका है। अतः सभी प्रकार के संकटों को देखते हुए जल्द से जल्द बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए समाज को आगे आना चाहिए और सरकार के साथ मिलकर ध्वनि प्रदूषण जैसे मुद्दे पर साथ देना चाहिए।

